न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 32 / 2009

1 मु. भतेरी उम्र 47 साल पत्नी स्व. हनुमान जाति गुर्जर निवासी डुमोली तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 स्नेहीराम उम्र 72 साल
2 शम्भूराम उम्र 60 साल
3 प्रभूराम उम्र 63 साल पुत्रगण परमाराम जाति मेघवंशी, निवासी डुमोली खुर्द, तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।
4 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील बुहाना, जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील विरूद्ध डिक्री एवं निर्णय दिनांक 30.01.2009 श्रीमान एस.डी.एम साहब श्री भागचन्द बधाल खेतड़ी बमुकदमा मु. भतेरी बनाम स्नेहीराम आदि, दावा बाबत घोषणात्मक रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री सुशील कुमार जोशी, अधिवक्ता अपीलांट

—निर्णय—

दिनांकः—30.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 263/2002 में पारित निर्णय दिनांक 31.01.2009 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी अपीलांट ने एक वाद घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि खसरा नम्बर 402 वाके ग्राम डुमोली खुर्द का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपने आलौच्य निर्णय में जिन दस्तावेज प्रदर्श 2 लगायत 4 का उल्लेख किया गया है परन्तु दस्तावेजात किस गवाह के बयानो में प्रदर्श हुए अंकित नहीं किया है। वादी की तरफ से किन—किन साक्ष्यों को पेश किया गया अंकित नहीं किया है इसी प्रकार प्रतिवादी की ओर से किन—किन साक्ष्यों के बयान लिये गये यह भी अंकित नहीं किया गया है तथा दस्तावेजात जिनका निर्णय में हवाला दिया गया है, उनके बारे में किसी गुवाड़ी साक्ष्य से ताईद हुई की नहीं हुई कहीं भी अंकित नहीं है। वादिनी द्वारा

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज का हवाला नहीं दिया गया। एकतरफा कहानी अंकित की गई है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर तनकीयात कायम भी नहीं की है, यहां तक कि विपक्षीगण की ओर से कोई जवाब दावा भी प्रस्तुत नहीं किया। आलौच्य निर्णय में विचारण न्यायालय ने वादिनी की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य एवं नजीर आरआरडी 1988 पेज 439 का भी जिक्र तक नहीं किया गया है। यह भी दर्ज नहीं किया गया है कि प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 3 का नाम विवादित भूमि नया खसरा नम्बर 32 रकबा 0.64 हैक्टेयर की खातेदारी में नाम किस स्त्रोत से आया है तथा खातेदारी में नाम आने के पहले या पश्चात विपक्षीगण का कब्जा भूमि पर रहा है या नहीं मौजुदा सूरत में उनका कब्जा है या नहीं इस विषय में भी विचारण न्यायालय ने कोई फाइडिंग अपने निर्णय में नहीं दी है। धारा 183 बी. की कार्यवाही के आधार पर भी पत्रावली पर मौजुदा नहीं है, प्रतिवादीगण द्वारा दावा भी नहीं किया गया है कि उनकी खातेदारी की भूमि है, उन्हें कब्जा दिया जाना चाहिए। वादिनी अपीलार्थीनी के ससुर ने फिर उसके पति व उनके वाद वादीनी ने भूमि का लगान दिया है। इस पर भूमि पर मेहनत कर उसे काश्त की है। इन तथ्यों पर भी विचारण न्यायालय ने कोई विवेचन अपने निर्णय में नहीं दिया है। निर्णय आरबीट्रेरी व केपरीसियस होने से निरस्त होने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। विवादित साबिक खसरा नम्बर 402 रकबा 11 बीघा 13 बिस्वा वादिया के कभी भी खातेदारी में नहीं रहा। जमाबन्दी संवत 2050 से 2053 में विवादित भूमि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 के खातेदारी में दर्ज है। वादिया प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी चाहती है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 मेघवंशी (एससी) है तथा वादिया गुर्जर है। अनुसूचित जाति की भूमि पर सवर्ण जाति के व्यक्ति को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 42 ऐसा करने से रोकती है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालयय ने वादी अपीलांट का वाद खारिज करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 30.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर